



विज्ञप्ति

मध्य-प्रदेश इकाई में अफीम तौल कार्य हेतु फसल वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेडी से नीमच फैंक्ट्री में अफीम के कन्टेनरों को बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्तें

1. विभाग को 8 से 10 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी। ट्रक, ट्रको 30 फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगाकर सील किया जा सकें। ट्रको की टूट-फूट, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्वयं पार्टों की होगी। सभी ट्रकों पर जी.पी.एस. (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) इन्स्ट्रुमेंट लगा होना चाहिए।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग-अलग दर्शाये। निविदादाता अपनी मोहरबंद निविदा जिस पर अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा लिखा हो, इस कार्यालय में दिनांक 12.03.2014 को 18:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे दिनांक 13.03.2014 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11:00 बजे खोला जायेगा।
3. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक (कार्यपालक), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच के नाम पर देय हो, संलग्न करना आवश्यक है। सफल निविदादाता को सेवा कर जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस की जाएगी।
4. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा। दिनों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल कार्य प्रारंभ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
5. रोड टैक्स एवं टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
6. नोडल बिन्दू कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच I/II, मन्दसौर I/II/III, जावरा I/II, गरोठ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जि.अ.अ. नीमच प्रथम/द्वितीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड के अफीम तौल केन्द्र नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेडी में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होंगे।
7. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10:00 बजे से 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
8. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर लेवे तथा इस संबंध में हुये नुकसान की क्षति पूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
9. वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेंस होना अनिवार्य है।
10. ट्रक वाहन चालक व क्लीनर नशे का आदि नहीं होना चाहिए।
11. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटीती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
12. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
13. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
14. सर्वाधिकार अघोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।
15. उक्त निविदा इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से
यह
A/3/2014
(बिदीप सक्सेना),
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)